पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 4373/अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 18/09/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '91वाँ' बैठक शुक्रवार दिनांक 27.09.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21.08.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना। (पृष्ठ क्र. 01 से 07 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **बजट 2024–25 E. Directorate of Physical Education 6 Equipments/Computer/other Machine मद में प्रावधानित राशि रु. 1.00 लाख में से राशि रु. 0.50 लाख E. Directorate of Physical Education 5 prizes for winner & runner i) I/U & Zone wise tounament ii) All India I.U. tournament मद में पुनर्विनियोजन के संबंध में विचार करना।**

3. **श्री बोधन प्रसाद यादव, दफ्तरी, कुलपति सचिवालय के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,66,043.00 (रुपए सात लाख छैंसठ हजार तिरालीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

   टीपः श्री बोधन प्रसाद यादव, दफ्तरी, कुलपति सचिवालय का दिनांक 31.08.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,66,043.00 (रुपए सात लाख छैंसठ हजार तिरालीस मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. **डॉ. निनाद बोधनकर, प्रोफेसर, भू–विज्ञान अध्ययनशाला द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान फलस्वरूप प्राप्त आवेदन दिनांक 08.08.2024 द्वारा पुत्री के विवाह हेतु राशि रु. 35,00,000.00 (रुपए पैंतीस लाख मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म M/S Bharati Chemical and Scientific works, Kolkata से खरीदे गए उपकरण BET Surface Area Analyzer की कुल राशि रु. 77,96,526=00 (रु. सतहत्तर लाख छियानबे हजार पाँच सौ छब्बीस मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।**

   टीपः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145; दिनांक 13.01.2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण BET Surface Area Analyzer हेतु फर्म M/S Bharati Chemical and Scientific works, Kolkata को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) 77,96,526=00 (रु. सतहत्तर लाख छियानबे हजार पांच सौ छब्बीस मात्र) भुगतान किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार,

18/9/24

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 4374 /अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 18/09/2024

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप–कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '91वाँ' बैठक शुक्रवार दिनांक 27.09.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.09.2024 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ क्र. 01 से 06 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के वेतन अंतर की छठवें एवं अंतिम किस्त के रूप में माह फरवरी–2018 से जून–2018 तक के एरियर्स राशि रु. 11,10,649.00 (रुपए ग्यारह लाख दस हजार छः सौ उनचास मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

   टीपः 1. छ.ग. शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 15/2024 के क्रमांक 1766/एफ–01002199/एल–11–2/ब–4/चार नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11.06.2024 अनुसार विश्वविद्यालय के गैर–शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के छठवें एवं अंतिम किस्त के एरियर्स की राशि माह फरवरी–2018 तक कुल 05 माह का भुगतान किया गया है।

   2. यथा निर्देशानुसार सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों को कुल एरियर्स की राशि आयकर एवं अन्य कटौतियाँ सहित कुल राशि रु. 11,10,649.00 (रुपए ग्यारह लाख दस हजार छः सौ उनचास मात्र) का भुगतान किया गया।

   3. उक्त वित्त निर्देश को अंगीकृत कर किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. **विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त/दिवंगत/धारणाधिकार शिक्षकों/ग्रंथपाल/संचालक शारीरिक शिक्षा एवं स्टॉफ मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर के शिक्षकों को सातवें वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स भुगतान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

   टीपः 1. छ.ग. शासन के उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 2–1/2018/38–1, रायपुर दिनांक 27/06/2024 के अनुपालन में राज्य शासन एतद् द्वारा सातवें वेतनमान के एरियर्स की केन्द्रांश की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण के–डिपॉजिट में जमा राज्य शासन का अंश की राशि को विमुक्त करने की सहमति दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)

   2. राजकीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी 7वें वेतनमान के एरियर्स की राज्यांश इस शर्त पर भुगतान की सहमति प्रदान की गई है कि उक्त वर्षों में दी जा चुकी ब्लाक ग्रांट की राशि के अतिरिक्त पृथक से कोई अनुदान राशि जारी नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में दी जा चुकी संबंधित वर्षों की अनुदान राशि से ही उक्त भुगतान का समायोजन करेंगे।

3. उक्त सहमति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 382/2024/ वित्त/नियम/चार, दिनांक 26.06. 2024 द्वारा प्रदान की गई है।

4. उक्त आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त/दिवंगत/धारणाधिकार शिक्षकों/ग्रंथपाल/संचालक शारीरिक शिक्षा एवं स्टॉफ मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स राशि माह जनवरी–2016 से मार्च 2018 तक कुल 27 माह का भुगतान किया जाना है। यथा निर्देशानुसार कुल एरियर्स की राशि आयकर एवं अन्य कटौतियां सहित कुल राशि रू. 1,18,20,3804/– (अक्षरी रुपये एक करोड़ अट्ठारह लाख बीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) का भुगतान किया गया।

5. डॉ. व्यास नारायण दुबे का न्यायालीन प्रकरण (wps no. 625/2019) के कारण एरियर्स राशि रु. 2,80,156/– (रुपए दो लाख अस्सी हजार एक सौ छप्पन मात्र) का भुगतान किया जाना शेष है।

6. उक्त वित्त निर्देश अंगीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।

4. **बजट 2024–25 में पुनर्विनियोजन के संबंध में विचार करना।**

टीप: 1. B. Engineering Unit 2 (e) मद में प्रावधानित राशि रू. 400.00 लाख में से राशि रू. 100.00 लाख F- Examination and Evaluation Administration 2. (c) मद में पुर्नविनियोजित किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद के प्रकरण विचारार्थ/अनुमानार्थ प्रस्तुत।

5. **डॉ. राधा पांण्डे, पति स्व. डॉ. अमरकांत पांडे (प्राध्यापक अर्थशास्त्र) भैषिजिक प्रतिपूर्ति एवं सातवे वेतनमान एरियर्स भुगतान के संबंध में विचार करना।**

टीप:

- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (पेंशन निराकरण समिति) मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 86/सा. प्रशा.–07/सा.प्र.वि. /HPC/2024/सा.2 दिनांक 25. 06.2024 एवं पत्र क्रमांक 156/सा.प्र./सा.प्र.वि./HPC/2024 दिनांक 17.09.2024 एवं अनुसार श्रीमती राधा पाण्डेय के चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं सातवें वेतनमान एरियर्स राशि के लंबित भुगतान प्रकरण पर कार्यवाही किए जाने का उल्लेख है।
- सातवे वेतनमान के एरियर्स राशि के भुगतान संबंधित प्रकरण पर संबधित को राशि रू. 3,62,994.00 (रू. तीन लाख बैसठ हजार नौ सौ चौरानबे मात्र) को दिनांक 24.09.2024 को भुगतान किया जा चुका है।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (पेंशन निराकरण समिति) मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के द्वारा आहूत बैठकों में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिकर्ता शामिल हुए थे एवं समिति के एवं विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 30/वित्त/चि.प्रति/2024 रायपुर दिनांक 05.07. 2024, क्रमांक 54/वित्त/चि.प्रति./2024, रायपुर दिनांक 19.07.2024 एवं क्रमांक 211/वित्त/चि. प्रति/2024, रायपुर दिनांक 29.08.2024 के द्वारा विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी द्वारा दर्ज आपत्ति को निराकृत कर प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु जानकारी दी गई/पत्राचार किया गया है।
- श्री पाण्डेय के भैषिजिक प्रतिपूर्ति प्रकरण पर विश्वविद्यालय चिकित्सा अधिकारी (मूल नस्ती पृष्ठ क्रमांक 01, 04 एवं 10) द्वारा यथा– चिकित्सकीय सपोटिंग प्रिस्किपसन, मान्य प्रारूप, सत्यापन, से पृथक–पृथक चिकित्सालय के लिए पृथक–पृथक देयक आदि कारणों से आपत्ति की दर्ज गई है, जिन्हें निराकरण किए बिना देयकों का सत्यापन संभव नहीं है, का स्पष्ट टीप किया गया है। (विश्वविद्यालय विनियम संख्या 34 (ई.सी. 19.02.77) के कंडिका

02 के अनुसार सभी चिकित्सा पुनर्खरीद बिलों पर विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने का प्रावधान है एवं विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 5415/सा. प्रशा./89, रायपुर दिनांक 23.12.89 एवं अधिसूचना कमांक 256/सा. प्रशा./89, रायपुर दिनांक 19 जनवरी 89 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्हें भैषिजिक प्रतिपूर्ति की पात्रता है, को प्रतिपूर्ति सुविधा हेतु वि.वि. स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक को अधिकृत किया गया है)

- कृपया अवगत हो संलग्न कुल चार देयकों का सकल राशि रू. 14,32,302 (रू. 60818+15465+208818+1147201= 14,32,302=00) (चौदह लाख बत्तीस हजार तीन सौ दो मात्र) संलग्न है, जो कि सी.एम.ओ. द्वारा सत्यापन बिल अथवा देयक नहीं है।
- अतएव अधिसूचित पत्र एवं संस्थित नियमावली अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के बिना भैषिजिक प्रतिपूर्ति प्रकरण को अमान्य अथवा खारिज किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. **डॉ. श्रीमती अदिती पोद्दार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 17,94,622.00 (रुपए सत्रह लाख चौरनबे हजार छः सौ बाईस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक/1437/सा.प्रशा./2024 रायपुर, दिनांक 14.05. 2024 के परिपालन में डॉ. श्रीमती अदिती पोद्दार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला को पात्रतानुसार 169 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. डॉ. श्रीमती अदिती पोद्दार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 17,94,622.00 (रुपए सत्रह लाख चौरनबे हजार छः सौ बाईस मात्र) का भुगतान किया जाना है।

उपर्युक्त अनुसार भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :-

7. **विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों हिन्दी-07, पर्यावरण विज्ञान-04, प्रबंधन(Tourism)-01, माइक्रोबायलॉजी-01, बायोकेमेस्ट्री-01 अंग्रेजी-01, गणित (Cryptography) -01 भौतिकी (Space Physics/Astronomy)-01 हेतु उल्लेखित शैक्षणिक पदों की निरंतरता तथा सापेक्षिक वचनबद्धता के संबंध में विचार करना।**

टीपः अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 3117/5453/2014/38-2 दिनांक 03.08.2015 के द्वारा इस विश्वविद्यालय में हिन्दी अध्ययनशाला की स्थापना हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यू.जी.सी द्वारा स्वीकृत <u>7 शिक्षकीय पदों</u> हेतु योजना अवधि समाप्ति उपरांत व्यय वहन की वचनबद्धता विभाग के प्रशासकीय स्वीकृति की शर्त "कि यदि 05 वर्षों के उपरांत किसी भी प्रकार के वित्तीय कारणों से राज्य शासन वित्तीय व्ययभार वहन करने की स्थिति में नहीं होगी, तो विश्वविद्यालय इन पदों का वित्तीय व्ययभार वहन करेगा" पर प्रदान की गयी है।

तत्संबंध में लेख है कि विश्वविद्यालय में हिन्दी अध्ययनशाला के शासन द्वारा उपरोक्त सृजित पद योजना अवधि की समाप्ति के उपरांत भी निरंतरता की स्थिति में हैं।

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-9/2017/38-2 दिनांक 11.10.2017 के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों <u>{पर्यावरण विज्ञान-04, प्रबंधन(Tourism)-01, माइक्रोबायलॉजी-01, बायोकेमेस्ट्री-01 अंग्रेजी-01, गणित (Cryptography)-01 भौतिकी</u>

(Space Physics/Astronomy)–01} के लिए कुल 10 शैक्षणिक पदों की वचनबद्धता इस शर्त पर सहमति प्रदान की गयी है कि इन पदों पर योजना समाप्ति के उपरांत आने वाले व्यय को विश्वविद्यालय स्वयं वहन करेगा।

तत्संबंध में लेख है कि विश्वविद्यालय में विषयों के लिए शासन द्वारा उपरोक्त सृजित पद योजना अवधि की समाप्ति के उपरांत भी निरंतरता की स्थिति में हैं। अतः विश्वविद्यालय में उपरोक्त विषयों **{हिन्दी–07, पर्यावरण विज्ञान–04, प्रबंधन (Tourism)–01, माइक्रोबायलॉजी–01, बायोकेमेस्ट्री–01 अंग्रेजी–01, गणित (Cryptography) –01 भौतिकी (Space Physics/Astronomy)–01}** हेतु उल्लेखित शैक्षणिक पदों की निरंतरता तथा सापेक्षिक वचनबद्धता के संबंध में कार्यपरिषद में विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

8. **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.08.2024 के पूरक विषय सूची 05 पर लिए गए निर्णय के बिन्दु क्रमांक (2) (ii) में पुनः विचार किये जाने के संबंध में प्रस्तुत।**

<u>टीप</u>: कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.08.2024 के पूरक विषय सूची 05 पर लिए गए निर्णय के बिन्दु क्रमांक (2)(ii) के अनुसार "यदि पूर्व आवेदक अपने आवेदन में केवल शैक्षणिक उन्नयन से संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करना चाहते हैं तो उसे निःशुल्क संलग्न करने की अनुमति प्रदान की गई।"

उपरोक्त के संबंध में अनेक विसंगतियां उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे न्यायालयीन प्रकरण उत्पन्न हो सकते है।

अतः "जिन आवेदकों ने पूर्व में विज्ञापन क्र. 3916/Estb./Gen./Adm/2023 dated 06.09.2023 में आवेदन किया है और अपने शैक्षणिक उन्नयन से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना चाहते है, उन्हें सभी आवश्यक व अपग्रेड किये गये अनुलग्नकों के साथ नया आवेदन पुनः जमा करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी जायेंगी।" किए जाने के संबंध में कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

9. **डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. क्रीड़ा अधिकारी के प्रकरण पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 के निर्णयानुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं का बिन्दुवार विधिक परीक्षण उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के दो अधिवक्ताओं, श्री नीरज चौबे एवं श्री अविनाश मिश्रा से प्राप्त बंद लिफाफा खोलने एवं विधिक अभिमत पर विचार करने बाबत्।**

<u>टीप</u>: विश्वविद्यालय की 81वीं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.09.2023 के पूरक विषय सूची क्र. 08 में डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. क्रीड़ा अधिकारी के प्रकरण पर गठित चार सदस्यीय समिति के द्वारा बंद लिफाफे में प्राप्त प्रतिवेदन को रखा गया।

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 के पूरक विषय सूची क्र. 02 में लिए गए निर्णयानुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं का बिन्दुवार विधिक परीक्षण कराते हुए आगामी कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद में लिए गए निर्णय के परिपालन में उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के दो अधिवक्ताओं श्री नीरज चौबे एवं श्री अविनाश मिश्रा से विधिक अभिमत चाही गयी थी।

उक्त दोनों अधिवक्ताओं ने सील बंद लिफाफे में विधिक अभिमत प्रस्तुत कर दिए है।

अतः उक्त बंद लिफाफा खोलने एवं विधिक अभिमत माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. **विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।**

टीप : वाणिज्य विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 13.09.2024 के निर्णयानुसार विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध–केंद्र की मान्यता अस्थाई रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक–107 की कंडिका–08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

11. **महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध–केंद्र की अस्थाई मान्यता को स्थाईकृत करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : वाणिज्य विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 13.09.2024 के निर्णयानुसार महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध–केंद्र की अस्थाई मान्यता को स्थाईकृत किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक–107 की कंडिका–08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

12. **शास. दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर को मनोविज्ञान विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।**

टीप : मनोविज्ञान विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 18.09.2024 के निर्णयानुसार शास. दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर को मनोविज्ञान विषय में शोध–केंद्र की मान्यता अस्थाई रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक–107 की कंडिका–08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

13. **दानदाताओं द्वारा प्रदत्त स्वर्ण–पदक के लिए निर्धारित राशि में वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के पूरक विषय सूची क्रमांक 9 में लिए गए निर्णयानुसार, अधिसूचना क्रमांक 1742/अका./2022 रायपुर, दिनांक 08.06.2022 के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 6 की कंडिका 32 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को दानदाताओं द्वारा प्रदत्त स्वर्ण–पदक के लिए निर्धारित राशि रुपए 50,000/– (रुपए पचास हजार मात्र) को बढ़ाकर रुपए 1,00,000/– किया गया है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए दानदाताओं द्वारा प्रदत्त स्वर्ण–पदक के लिए निर्धारित राशि में पुनः वृद्धि किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

14. **शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वास्तविकता/सत्यापन के संबंध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.06.2024 में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पत्र क्रमांक BCI-LE/138/2020 (Circular-003) के स्थान पर BCI-LE/138/2024 (Circular-003) संशोधन करने के संबंध में विचार करना।**

टीपः बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से प्रेषित किये गये शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वास्तविकता/सत्यापन शीघ्र एवं निःशुल्क जानकारी दिये जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ रखे जाने हतु नस्ती प्रेषित की गई थी। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की दिनांक 12.06.2024 को संपन्न हुई 88वीं बैठक की पूरक सूची क्रमांक 11

के निर्णय में – भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पत्र क्रमांक BCI-LE/138/2024 (Circular-003) के स्थान पर BCI-LE/138/2020 (Circular-003) हो गया है।

अतः शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वास्तविकता/सत्यापन के संबंध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.06.2024 में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पत्र क्रमांक BCI-LE/138/2020 (Circular-003) के स्थान पर BCI-LE/138/2024 (Circular-003) संशोधन किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

15. **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 18.09.2024 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

    टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

16. **परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा गणित अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को रु. 5,50,000/– (रु. पाँच लाख पचास हजार मात्र) का ग्रंथालय अनुदान पत्र क्रमांक 02012/45/2023/NBHM/LG/R&D-II/3567 datet 17 March 2023 द्वारा प्रदान किए गये निधि से क्रय की गयी पुस्तकों का देयक कुल रु. 5,29,758/– (रु. पाँच लाख उनतीस हजार सात सौ अनठावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

    टीपः परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा गणित अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को रु. 5,50,000/– (रु. पाँच लाख पचास हजार मात्र) का ग्रंथालय अनुदान पत्र क्रमांक 02012/45/2023/NBHM/LG/R&D-II/3567 datet 17 March 2023 द्वारा प्रदान किया गया था। पत्र क्रमांक NBHM/LG/R&D-II/11307 Auygust 05/06, 2024 के द्वारा उक्त निधि का उपयोग सितम्बर 2024 तक करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त अनुक्रम में क्रय की गयी पुस्तकों का देयक कुल रु. 5,29,758/– (रु. पाँच लाख उनतीस हजार सात सौ अनठावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

17. **वर्ष 2024 की सेमेस्टर परीक्षा (सेमेस्टर परीक्षा मई–जून, 2024 एवं पूरक परीक्षा अगस्त–सितम्बर, 2024) के गोपनीय मुद्रण राशि रु. 96,16,056=00 (छियानबे लाख सोलह हजार छप्पन रूपए मात्र) के भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

    टीपः वर्ष 2024 की सेमेस्टर परीक्षा (सेमेस्टर परीक्षा मई–जून, 2024 एवं पूरक परीक्षा अगस्त–सितम्बर, 2024) के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अनुबंधित फर्म द्वारा कार्य संपादन उपरांत राशि रु. 96,16,056=00 (छियानबे लाख सोलह हजार छप्पन रूपए मात्र) का देयक प्रस्तुत किया गया। जिसे विश्वविद्यालय गोपनीय विभाग द्वारा सत्यापित किया गया है। संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रु. 96,16,056=00 (छियानबे लाख सोलह हजार छप्पन रूपए मात्र) की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

फार्मेसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :–

18. **फार्मेसी संस्थान मे Permanent / Adhoc Veterinarian की नियुक्ति किये जाने के संबंध में विचार करना।**

    टीप : फार्मेसी संस्थान मे शोध छात्रों एवं स्नातकोत्तर छात्रों के Research Work के लिए Animal House की आवश्यकता रहती हैं। जिसमे Animal पर प्रयोग किया जा सकें। उक्त Animal House का अनुमोदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पशु कल्याण प्रभाग पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण मे प्रयोजनार्थ समिति/ (CPCSEA) से किया जाता है। CPCSEA के पत्र क्र. 25/28/2017 – CPSEA date 01

Feb 2019 के अनुसार फार्मेसी संस्थान के Animal House को सतत् अनुमोदन के लिए एक Permanent / Full time / Adhoc Veterinarian की नियुक्ति किया जाना है। अन्यथा विभाग को CPCSEA का अनुमोदन समाप्त कर दिया जावेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में फार्मेसी संस्थान में Permanent / Adhoc Veterinarian की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है । अतः फार्मेसी संस्थान के वर्तमान (Self finance) Teaching setup में से एक पद Veterinarian हेतु सृजित करते हुए Permanent / Adhoc पर नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

19. **डॉ. हेमलता बोरकर वासनिक, परियोजना अन्वेषक ICSSR-MRP को अग्रिम राशि रुपए 5,60,000.00 (रुपए पाँच लाख साठ हजार मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : डॉ. हेमलता बोरकर वासनिक परियोजना अन्वेषक ICSSR-MRP को स्वीकृति पत्र क्रमांक F-No- ICSSR / RPD / RPR / 2023-24 / 22 dt- 23.03.2024 द्वारा 24 माह के लिए स्वीकृत शोध परियोजना की कुल आबंटित राशि 35,00,000.00 (राशि पैंतिस लाख मात्र) है, जिसमें से विश्वविद्यालय को प्रथम किस्त की प्राप्त राशि 14,00,000.00 (राशि चौदह लाख मात्र) है।

प्रथम किस्त की प्राप्त राशि में से राशि 5,60,000.00 (राशि पांच लाख साठ हजार मात्र) परियोजना अन्वेषक को अग्रिम भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

20. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project: SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म M/S SWAN Environmental Private Limited, Hyderabad, Telangana से खरीदे गए उपकरण GC Based Portable BTEX Analyzer की राशि रु. 24,63,807=70 (रुपए चौबीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ सात और सत्तर पैसे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

<u>टीपः</u> पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST&PURSE Project] SR/PURSE/2022/145 दिनांक– 13/01/2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण GC Based Portable BTEX Analyzer M/S SWAN Environmental Private Limited, Hyderabad, Telangana को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) रु. 24,63,807=70 (रु. चौबीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ सात और सत्तर पैसे मात्र) देय भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

21. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project: SR/PURSE / 2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म Biologic Science Instruments Pvt Ltd. Thane, Maharashtra से खरीदे गए उपकरण Multichannel Electrochemical workstations (Potentiostate) की राशि रुपए 5,90,000=00 (रु. पाँच लाख नब्बे हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

<u>टीपः</u> माननीय कार्यपरिषद के समक्ष पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST&PURSE Project] SR/PURSE /2022/145; दिनांक– 13/01/2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण Multichannel Electrochemical workstations (Potentiostate) M/S Biologic Science Instruments Pvt Ltd. Thane, Maharashtra को उनके

दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) रु. 29,89,535 00 (रु. उनतीस लाख नवासी हजार पांच सौ पैंतीस मात्र) एवं उपकरण के accessories एवं lab prerequisites सप्लाइ हेतु फर्म M/S Duttco Instruments] Howrah, W.B. को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) रु. 5.90,000=00 (रु. पांच लाख नब्बे हजार मात्र) देय भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

22. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म M/S Duttco Instruments, Howrah, W.B. से खरीदे गए उपकरण Steady State Fluorescence Spectrophotometer & accessories d lab prerequisites की राशि रुपए 7,25,700=00 (रु. सात लाख पच्चीस हजार सात सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project: SR / PURSE / 2022 / 145 दिनांक– 13/01/2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण Steady State Fluorescence Spectrophotometer के accessories एवं lab prerequisites supply हेतु फर्म M/S Duttco Instruments, Howrah, W.B. को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) रुपए 7,25,700=00 (रु. सात लाख पच्चीस हजार सात सौ मात्र) देय भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

23. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म M/S SWAN Environmental Private Limited] Hyderabad, Telangana से खरीदे गए उपकरण Total VOCs PID Sensing Monitors की राशि रु. 9,94,398 00 (रु. नौ लाख चौरानबे हजार तीन सौ अठ्ठानवे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST&PURSE Project SR/PURSE / 2022/145 दिनांक– 13/01/2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण Total VOCs PID Sensing Monitors M/S SWAN Environmental Private Limited] Hyderabad] Telangana को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित)) रु. 9,94,398 00 (रु. नौ लाख चौरानबे हजार तीन सौ अठ्ठानवे मात्र) देय भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

24. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project; SR/PURSE /2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म M/S NucleoniÛ Systems Private Limited, Hyderabad से क्रय किये गए उपकरण TL OSL Reader equipment की राशि रुपए 29,96,020=00 (रु. उनतीस लाख छियानवे हजार बीस और शून्य पैसे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project; SR / PURSE / 2022/145 दिनांक– 13/01/2023) के अंतर्गत शोध उपकरण TL OSL Reader के भुगतान M/S NucleoniÛ Systems Private Limited, Hyderabad को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) 29,96,020=00 (रु. उनतीस लाख छियानवे हजार बीस और शून्य पैसे मात्र) देय भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

25. **शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति के बाह्य सदस्यों के मानदेय 4000/– (अक्षरी– चार हजार रू.) एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वरिष्ठता अनुसार स्तरोनयन/अकादमिक लेवल परिवर्तन के लिए स्क्रीनिंग हेतु आने वाले विषय विशेषज्ञों के मानदेय 3000/– (अक्षरी– तीन हजार रू.) किए जाने संबंध में विचार करना।**

टीपः निर्देशानुसार शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति के बाह्य सदस्यों को मानदेय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वरिष्ठता अनुसार ग्रेड परिवर्तन के लिए स्क्रीनिंग हेतु आने वाले विषय विशेषज्ञों के मानदेय में वृद्धि किया जाना है।

उपरोक्त के संबंध में लेख है कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.10.2012 में पूरक सूची विषय क्रमांक 03 पर लिए गए निर्णयानुसार शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु गठित समिति के सदस्यों को मानदेय रू. 2000/– की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.11.2019 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्र. 2 में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वरिष्ठता अनुसार ग्रेड परिवर्तन के लिए स्क्रीनिंग हेतु आने वाले विषय विशेषज्ञों का मानदेय रू. 1500/– (एक हजार पांच सौ रूपए मात्र) किए जाने का अनुमोदन किया गया।

अतः निर्देशानुसार शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु गठित **चयन समिति के बाह्य सदस्यों के मानदेय 4000/– (अक्षरी– चार हजार रू.)** एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वरिष्ठता अनुसार स्तरोनयन/अकादमिक लेवल परिवर्तन के लिए **स्क्रीनिंग हेतु आने वाले विषय विशेषज्ञों के मानदेय 3000/– (अक्षरी– तीन हजार रू.) किए जाने संबंध में कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

26. **विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत् एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु संबंधित शिक्षकों के दस महत्वपूर्ण शोध प्रकाशनों का विवरण, जिसमें से तीन शोध पत्र Asessment अवधि में प्रकाशित हो, के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन समिति के सदस्यों को पी–एच.डी. मूल्यांकन हेतु निर्धारित मानदेय के समकक्ष 2500/– (अक्षरी– दो हजार पांच सौ रू.) मानदेय किए जाने के संबंध में विचार करना।**

27. **Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत आयोजित "Screening-Cum-Evaluation Committee" तथा Selection Committee की बैठकों में की गई संस्तुतियों से संबंधित सहायक प्राध्यापकों के स्तरोन्नयन के संबंध में 03 बंद लिफाफों को खोले जाने बाबत्।**

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

28. **शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर को मनोविज्ञान विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।**

टीप : मनोविज्ञान विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 18.09.2024 के निर्णयानुसार शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर को मनोविज्ञान विषय में शोध–केंद्र की मान्यता अस्थाई रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक–107 की कंडिका–08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

29. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

27/9/24

कुलसचिव